प्रेषक,

जे0 सी0 गोस्वामी,
आई0ए0एस0,
महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश , इलाहाबाद ।

सेवा में,

समस्त जिला निबन्धक,
उत्तर प्रदेश ।

संख्याः 8160-216/चार-412 दिनांक 9, नवम्बर, 1987

विषयः- रजिस्ट्री हेतु प्रस्तुत करते समय लेखापत्रों पर निष्पादकों का स्वच्छ एवं टिकाऊ फोटो का लिया जाना तथा उसका रख रखाव ।

महोदय,

जाली दस्तावेजों की रजिस्ट्री के रोक थाम के सम्बन्ध में समय समय पर जारी किये गये शासनादेशों एवं प्रपत्रों के क्रम में मुझे यह कहना है कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 34(3) तथा रजिस्ट्रेशन मैनुअल भाग-2 के नियम 304 में निर्दिष्ट प्राविधानों का उप निबन्धकों द्वारा पालन करने एवं निष्पादकों के शिनाख्त के सम्बन्ध में पर्याप्त सतर्कता बरतने के बावजूद लेखपत्रों में प्रतिरूपण की समस्या पर अपेक्षित नियन्त्रण पाना संभव नहीं हो सका है । ऐसी दशा में शिनाख्त की प्रक्रिया दोषरहित बनाने हेतु दस्तावेजों के साथ निष्पादकों की फोटो का लिया जाना निर्णायक सिद्ध हो सकता है । अतः आपसे अनुरोध है कि अपने जनपद अथवा उप जनपद में जहॉ से लेखपत्रों में प्रतिरूपण के अधिक मामले प्रकाश में आवें गम्भीरता पूर्वक परीक्षण करने एवं विचारोपरान्त इस सम्ब्ध में आवश्यक निर्देश जारी करते हुए उप निबन्धकों द्वारा दस्तावेजों के साथ निष्पादकों की पासपोर्ट साइज की स्वच्छ एवं टिकाऊ फोटो का लिया जाना सुनिश्चित करें ।

इस प्रक्रिया के सम्बन्ध में यह कहना है कि निष्पादकों की एक फोटो मूल लेखपत्र पर पक्षकार द्वारा मजबूती से चस्पा की जायेगी तथा एक अतिरिक्त फोटो लेखपत्र के साथ प्रस्तुत होगी । यह फोटो उप निबन्धक के संतुष्टिनुसार किसी सम्भान्त ..... प्रमाणपत्र अटेस्टेड होना आवश्यक है । प्रस्तुत किये गये अतिरिक्त फोटो के रख रखाव हेतु उप निबन्धक कार्यालय में एक गार्ड फाईल खोली जाये । जिसके प्रत्येक वट पर बही नम्बर आठ के प्रारूप में वाटर मार्क साइज का मजबूत कागज चस्पा किया जायेगा और उसी पर अलग अलग लेखपत्रों से

सम्बन्धित फोटो क्रमानुसार चस्पा की जायेगी । रजिस्टर नम्बर आठ की ही भॉति लेखपत्रों के निबन्धन के द्वारा की प्रविष्टयॉ भी अंकित की जायेंगी ताकि वह स्पष्ट रहे कि अमुक फोटो अमुक लेखापत्र संख्या के साथ प्रस्तुत की गई थी । इस गार्ड फाइल में चस्पा किए गये कागजों पर क्रमवार सामने की ओर पृष्ट संख्या डाला जायेगा और अंत में निबन्धन नियमावली के नियम 224 की भांति उप निबन्धक द्रवारा प्रमाणित किया जायेगा । विदित हो कि फोटो का लिया जाना एक अतिरिक्त उपाय स्वरूप होगा और ऐसा करते समय धारा 34 (3) व नियम 304 के दायित्वों के निर्वाह में उप निबन्धकों द्वारा किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जानी चाहिये और बही नम्बर आठ में निशान अंगूठा लेने की प्रक्रिया यथावत चलती रहेगी ।

कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति स्वीकार करें, तथा आवश्यकतानुसार अपने अधीनस्थ उप निबन्धकों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

ह०/–

(जे0सी0 गोस्वामी)

महानिरीक्षक निबन्धन,

उत्तर प्रदेश , इलाहाबाद।

संख्याः 8217-19/चार-412 दिनांक 9, नवम्बर, 1987

प्रतिलिपि-

1- समस्त सहायक महानिरीक्षक एवं उप महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2- समस्त उप निबन्धकों को अनुपालनार्थ प्रेषित ।
3- संयुक्त सचिव, वित्त (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/–

(जे0सी0 गोस्वामी)

महानिरीक्षक निबन्धन,

उत्तर प्रदेश , इलाहाबाद।